# राजस्थान सरकार
# वित्त विभाग
# (नियम डिवीजन)

क्रमांक प.14(1)वित्त/नियम/2008 जयपुर, दिनांक : 22.09.2008

## परिपत्र

विषय :– राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन स्थिरीकरण एवं एरियर का भुगतान बाबत।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)वित्त/नियम/08 दिनांक 12.09.2008 द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 जारी किये जाकर मेमोरेण्डम क्रमांक प.11(7)वित्त/नियम/08 दिनांक 12.09.2008 के द्वारा नवीन वेतनमानों में वेतन स्थिरीकरण हेतु निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

संबंधित कार्यालयाध्यक्षों एवं वेतन स्थिरीकरण विवरण–पत्र जांच करने वाले अधिकारियों से अपेक्षा है कि वे वेतन स्थिरीकरण के मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करायेंगे। चूंकि पुनरीक्षित वेतन नियम दिनांक 12.09.2008 को जारी किये गये हैं और चालू माह के नियमित वेतन के बिल 25 सितम्बर, 2008 तक सामान्यतः बनाये जायेंगे ऐसी स्थिति में अनेक कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थिरीकरण वेतन बिल बनाये जाने से पूर्व संभवतः पूर्ण नहीं हो पाये। एरियर का भुगतान सभी कर्मचारियों को शीघ्रातिशीघ्र जारी हो सके, इस हेतु निम्नांकित निर्देश दिये जाते हैं:–

(i) एरियर बिल प्राप्त करने के संबंध में कोषालय द्वारा माह के अन्तिम अथवा प्रथम सप्ताह में एरियर बिल प्राप्त करने पर कोई रोक नहीं रहेगी।

(ii) एरियर बिलों के भुगतान हेतु अगले माह के वेतन बिल का इंतजार नहीं किया जावे। एरियर बिल का पारण माह के किसी भी दिन किया जा सकता है।

सभी आहरण–वितरण अधिकारियों एवं कोषाधिकारियों से अपेक्षा है कि सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को दीपावली पूर्व एरियर के भुगतान कराने के लिये सभी आवश्यक कदम उठावें।

(सुभाष गर्ग)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त